

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100443

दिनांक: 30/01/2026

लोक सूचना

श्री AKSHAY SINGH RATHORE पुत्र श्री RAGHUNATH SINGH RATHORE जाति RAJPUT निवासी B-80 SINGH BHOOMI KHATIPURA JAIPUR

श्रीमति DIMPAL KANWAR श्री AKSHAY SINGH RATHORE जाति RAJPUT निवासी B-80 SINGH BHOOMI KHATIPURA JAIPUR

श्री BASANT KANWAR श्री JITENDRA SINGH जाति RAJPUT निवासी B-80 SINGH BHOOMI KHATIPURA JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	कनकपुरा, जयपुर (जयपुर)	3.) बसन्त कंवर पत्नि जितेन्द्र सिंह हिस्सा 311 / 1061 जाति राजपूत प्लॉट नं बी 80 सिंह भूमि खातीपुरा जयपुर खातेदार 1.) अक्षय सिंह राठौड़ पुत्र रघुनाथ सिंह राठौड़ हिस्सा 375 / 1061 जाति राजपूत प्लॉट नं बी 80 सिंह भूमि खातीपुरा जयपुर खातेदार 2.) डिम्पल कंवर पत्नि अक्षय सिंह राठौड़ हिस्सा 375 / 1061 जाति राजपूत प्लॉट नं बी 80 सिंह भूमि खातीपुरा जयपुर खातेदार	457/213	0.4244	0.4244
2.	कनकपुरा, जयपुर (जयपुर)	3.) बसन्त कंवर पत्नि जितेन्द्र सिंह हिस्सा 1 / 3 जाति राजपूत प्लॉट नं बी 80 सिंह भूमि	215/2	0.0506	0.0506

		खातीपुरा जयपुर खातेदार 1.) अक्षय सिंह राठौड पुत्र रघुनाथ सिंह राठौड हिस्सा 1 / 3 जाति राजपूत प्लॉट नं बी 80 सिंह भूमि खातीपुरा जयपुर खातेदार 2.) डिम्ल कंवर पत्नि अक्षय सिंह राठौड हिस्सा 1 / 3 जाति राजपूत प्लॉट नं बी 80 सिंह भूमि खातीपुरा जयपुर खातेदार			
3.	कनकपुरा, जयपुर (जयपुर)	1.) बसन्त कंवर पत्नि जितेन्द्र सिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत प्लॉट नं बी 80 सिंह भूमि खातीपुरा जयपुर खातेदार	213/3	0.0126	0.0126
कुल					0.4876

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**।" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **30-01-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
DAINIK BHASKAR & SEEMA SANDESH

प्राधिकृत अधिकारी जोन-07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

